गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2022 को प्रातः 09:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
6.	प्रो0 अशोक कुमर मिश्रा	सदस्य
7.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
8.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
9.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
10.	डॉ0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
11.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
12.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 आर.के. चौबे	सदस्य
14.	डॉ0 एस.के. प्रजापति	सदस्य
15.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
16.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 ब्रजेश तिवारी

स्थायी समिति के बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय ने नव नियुक्त अधिष्ठाता/सदस्यों का स्वागत किया एवं विश्वविद्यालय के निरंतर प्रगति हेतु सतत प्रयास करने का आह्वान किया। तदोपरान्त विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 25.11.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में स्थायी समिति द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन समिति की आगामी बैठकों में प्रस्तुत किया जाय।

आपात बैठक दिनांक 25.11.2022 के अ.अ.वि.क्र.02 के संबंध में स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के अनुशंसानुसार शैक्षणिक सत्र 2022–23 से ही अनुमोदित अध्यादेश बी.टेक कार्यक्रमों पर लागू किये जाय।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 25.11.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि उक्त संशोधन के साथ की जाय।

08/12/2022

08/12/22

विषय क्र. 02 **रसायन विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और रसायन विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि रसायन विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और रसायन विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं ज्ञापन संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 03 **शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्टॉफ प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित पत्र एवं ई–मेल दिनांक 29.11.2022 के संबंध में।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ई–मेल एवं पत्र में निहित प्रस्ताव के अनुक्रम में प्रथमतः एक शैक्षणिक स्टाफ को विशेष कर्त्वव्यस्थ अधिकारी नामित/नियोजित किया जाय।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि दिल्ली में विश्वविद्यालय की ओर से नियोजित ऐसे शैक्षणिक स्टॉफ को सेवा अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाय।

यह और भी निर्णय लिया कि प्रस्तावित शैक्षणिक स्टाफ को नामित करने एवं साथ ही साथ इस प्रकार से नियोजन की अवधि/अवधि में वृद्धि हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाय।

विषय क्र. 04 **शेष शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु पूर्णतः अस्थायी शिक्षकों की भर्ती संबंधी।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि पूर्णतः अस्थायी शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का बैठक में सुझाये गये संशोधनों के साथ अनुमोदित किया जाय।

विषय क्र. 05 **विश्वविद्यालय में दानदाता पदक के लिए कायिक निधि (Endowment fund) संबंधी प्रावधानों पर पुनर्विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में दानदाता पदक के लिए कायिक निधि (Endowment fund) संबंधी प्रावधानों पर पुनर्विचार कर यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 06 **स्व–वित्तीय योजना के अंतगर्त संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रबंधन संबंधी अध्यादेश प्रारूप पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि स्व–वित्तीय योजना के अंतगर्त संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रबंधन संबंधी प्रारूपण समिति द्वारा दिनांक 29.11.2022 को प्रस्तावित अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

08/12/2022

08/12/22

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र. 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अधीन निर्मित परिनियम क्रमांक–5(1) के प्रावधानों के पुनरावलोकन कर आवश्यक्र संशोधन की आवश्यकता स्थायी समिति ने महसूस की एवं निर्णय लिया कि संशोधन हेतु यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय के अधीनस्थ विधेयन समिति को अंकित किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

08/12/22

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

08/12/2022

कुलपति / अध्यक्ष